



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 746]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 26, 2016/कार्तिक 4, 1938

No. 746]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 26, 2016/KARTIKA 4, 1938

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अक्टूबर, 2016

सा.का.नि. 1007(अ).—चाय नियम, 1954 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का प्रारूप, चाय अधिनियम, 1953 (1953 का 29) की धारा 49 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार, भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग) की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 465(अ) तारीख 3 अगस्त, 2016 को जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है, आक्षेप और सुझाव मांगने के लिए प्रकाशित की गई थी। उस तारीख से जिसको उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, तीस दिन की अवधि की समाप्ति तक आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे ;

और, उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 5 अगस्त, 2016 को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और, उक्त प्रारूप नियमों पर जनता से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए थे ;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, चाय अधिनियम, 1953 की धारा 49 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- 1 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम चाय (संशोधन) नियम, 2016 है।
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. चाय नियम, 1954 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 4 में, उपनियम (1), खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(कक) चाय बोर्ड उपाध्यक्ष - पदेन ;” ।

(3) मूल नियमों के नियम 12 में,-

(क) उपनियम 2 के खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(क) उपाध्यक्ष जो उसका पदेन अध्यक्ष होगा; और” ;

(ख) उपनियम 2 के खंड (ख) का लोप किया जाएगा ;

(ग) उपनियम (3) के खंड (i) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(i) उपाध्यक्ष जो उसका पदेन अध्यक्ष होगा; और” ;

(घ) उपनियम (4क) के खंड (i) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(i) उपाध्यक्ष जो उसका पदेन अध्यक्ष होगा ; और” ;

(ङ) उपनियम (4ख) के खंड (i) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(i) उपाध्यक्ष जो उसका पदेन अध्यक्ष होगा ; और” ;

(च) उपनियम (4ग) के खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड को रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(क) उपाध्यक्ष जो उसका पदेन अध्यक्ष होगा ; और” ।

(4) मूल नियम के नियम 20क के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“20क. बोर्ड के उपाध्यक्ष द्वारा बोर्ड के किसी कर्मचारी को नए गृह निर्माण (जिसके अंतर्गत भूमि का क्रय भी है) या तैयार निर्मित गृह को क्रय करने के लिए या किसी कर्मचारी के स्वामित्व में विद्यमान गृह में निवास योग्य आवासन के विस्तार के लिए समय-समय पर केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को लागू ऐसी दरों तथा शर्तों पर प्रदान किया जाएगा।” ।

5. मूल नियम के नियम 36 के उपनियम (1) में, “ऐसी वित्तीय शक्तियों जिन्हें वह समीचीन समझे, बोर्ड के स्थायी समिति या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव या किसी ऐसे अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेगा जो इस निमित्त अध्यक्ष द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत किया जाए” शब्दों के स्थान पर, “ऐसी वित्तीय शक्तियों को जिन्हें वह समीचीन समझे, स्थायी समिति या उपाध्यक्ष, सचिव या बोर्ड के किसी अन्य अधिकारी को जिसे उपाध्यक्ष इस निमित्त विशेष रूप से प्राधिकृत करें, प्रत्यायोजित कर सकेगा” शब्द रखे जाएंगे ।

(6) मूल नियमों के नियम 38 में,-

(क) उपनियम (2) और (4) में, “अध्यक्ष” शब्द के स्थान पर, जहां वे आते हैं, “उपाध्यक्ष” शब्द रखा जाएगा ;

(ख) उपनियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम को रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(3) संविदाएँ, बोर्ड पर तब तक बाध्यकारी नहीं होंगी जब तक वह उपाध्यक्ष अथवा सचिव द्वारा निष्पादित नहीं की जाती और उस पर बोर्ड की सामान्य मुहर नहीं लगायी जाती है।” ।

(7) मूल नियमों के नियम 40 में,-

(क) "अध्यक्ष" शब्द के स्थान पर, "उपाध्यक्ष" शब्द रखा जाएगा ;

(ख) दूसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परन्तु यह और भी कि विदेशों में यात्रा के लिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के यात्रा कार्यक्रम के अनुमोदन के लिए केंद्रीय सरकार सक्षम प्राधिकारी होगी।"

[फा. सं. टी-12012/1/2016-बागान (क)]

आलोक वर्धन चतुर्वेदी, अपर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र की वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं सा.का.नि.1026 तारीख 23.03.1954 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन अधिसूचना सं का.आ. 228(अ) तारीख 20.02.2006, द्वारा किया गया।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th October, 2016

G.S.R. 1007(E).—Whereas certain draft rules further to amend the Tea Rules, 1954 were published, as required by sub-section (1) of section 49 of the Tea Act, 1953 (29 of 1953) in the Gazette of India *vide* notification of the Ministry of Commerce and Industry (Department of Commerce) number G.S.R. 465(E), dated the 3rd August, 2016, inviting objections or suggestions from all persons likely to be affected thereby, within a period of thirty days from the date on which the Gazette in which the said notification was published were made available to the public;

And Whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 5th August, 2016;

And Whereas no objections or suggestions were received from the public by the Central Government;

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 49 of the Tea Act, 1953, the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. (1) These rules may be called the Tea (Amendment) Rules, 2016.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Tea Rules, 1954 (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 4, in sub-rule (1), after clause (a), the following clause shall be inserted, namely:-

“(aa) Deputy Chairman of Tea Board-*ex-officio*.”

3. In principal rules, in rule 12,-

(A) in sub-rule (2), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:-

“(a) The Deputy Chairman who shall be the *ex-officio* Chairman thereof; and”;

(B) in sub-rule (2), clause (b) shall be omitted;

(C) in sub-rule (3), for clause (i), the following clause shall be substituted, namely:-

“(i) The Deputy Chairman who shall be the *ex-officio* Chairman thereof; and”;

- (D) in sub-rule (4A), for clause (i), the following clause shall be substituted, namely:-
“(i) The Deputy Chairman who shall be the *ex-officio* Chairman thereof; and”;
- (E) in sub-rule (4B), for clause (i), the following clause shall be substituted, namely:-
“(i) The Deputy Chairman who shall be the *ex-officio* Chairman thereof; and”;
- (F) in sub-rule (4C), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:-
“(a) The Deputy Chairman who shall be the *ex-officio* chairman thereof; and”.
4. In the principal rules, for rule 20A, the following rule shall be substituted, namely:-
“20A. An advance for building a new house (including purchase of land) or for the purchase of a ready built house or for enlarging living accommodation of an existing house owned by an employee of the Board shall be granted by the Deputy Chairman of the Board at such rates and such conditions applicable to the Central Government employees from time to time.”.
5. In the principal rules, in rule 36, in sub-rule (1), for the words, “may delegate to the Standing Committee or to the Chairman, Deputy Chairman, Secretary or any other officer of the Board specially authorized in this behalf by the Chairman, such financial powers as it may consider expedient:”, the words “may delegate to the Standing Committee or to the Deputy Chairman, Secretary or any other officer of the Board specially authorised in this behalf by the Deputy Chairman, such financial powers as it may consider expedient:” shall be substituted.
6. In the principal rules, in rule 38,-
(A) in sub-rules (2) and (4), for the word “Chairman”, wherever it occurs, the words “Deputy Chairman” shall be substituted;
(B) for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely:-
“(3) Contracts shall not be binding on the Board unless they are executed by the Deputy Chairman or the Secretary and the common seal of the Board is affixed thereto.”.
7. In the principal rules, in rule 40,-
(A) for the word “Chairman”, the words “Deputy Chairman” shall be substituted;
(B) after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-
“Provided also that the Central Government shall be the competent authority to approve tour programme of the Chairman and Deputy Chairman for visiting foreign countries.”.

[F. No. T-12012/1/2016-Plant (A)]

ALOK VARDHAN CHATURVEDI, Addl. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India *vide* notification of the government of India in the Ministry of Commerce and Industry, number G.S.R. 1026 dated the 23rd March, 1954 and last amended *vide* notification number S.O. 228(E) dated the 20th February, 2006.